

तारीख  
हकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24-10

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 28-11-19 को पेश हो।

28-11

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 10-12-19 को पेश हो।

10-12

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 26-12-19 को पेश हो।

26-12

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 20-2-20 को पेश हो।

20-2-20

पत्रावली पेश हुई। वकील राजीव सिंघानिया के रिपोर्ट के अनुसार पत्रावली पेश की गई है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 24-3-20 को पेश हो।

24-3

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 26-5-20 को पेश हो।

26-5

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 21-7-20 को पेश हो।

21-7

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 22-9-20 को पेश हो।

22-9-20

पत्रावली पेश हुई। वकील राजीव सिंघानिया के रिपोर्ट के अनुसार पत्रावली पेश की गई है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 22-9-20 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी  
चिडावा जिला इन्डियन (राज.)

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

जिल्ला मुकाम चिडावा  
 उपखण्ड अधिकारी  
 वनाम राजब सरकार  
 नं 87 सन 2018

मुकदमा नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।  
 तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

एकी जाकर निजीय करने की कृपा करें। प्रार्थना घर प्राची खीकर किया जाकर परावली के धारण की चेष्टी पर लिया गया। प्रार्थना घर में प्राची। वादी के कथन किया है कि राजब ग्राम परमपुरा की सीमा में एक खाना खरेबा 176 के खतरा नम्बर 173, 195, 198, 367/197, 375/172, 376/176, 377/176 कुल किता 7 कुल रकबा 5.45 है, खाना संख्या 56 के खतरा नम्बर 174, 193, 196, 360/195 कुल किता 4 कुल रकबा 0.20 है लिखत है। जिसका रिकार्ड खानेदारी प्राची। आवेदक का दलक पिता लालू पुर जयराम इर्न है जो अपने एक छिसे की भूमि पर काश्त व काश्त है उक्त आराजियात वादी की चेतक की है। वादी के उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्राची। वादी के दलक पिता का नाम लालू पुर जयराम इर्न है। उक्त प्राची। वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम लालू पुर जयराम इर्न जो वादी के आधार काई, राशन काई, तथा प्राची की अन्य भूमि खाना संख्या 161 के रिकार्ड में भी राजब इर्न पुर लालू पुर इर्न है तथा प्राची ~~की~~ के पिता के मूल प्रमाण पर, तथा प्राची के गौदनाम के दलक में भी प्राची के पिता का नाम लालू पुर जयराम इर्न है। अतः प्रार्थना घर नय जपक घर प्रस्तुत कर फिदेरत है कि प्राची। वादी के पिता का नाम राजब रिकार्ड में लालू पुर जयराम की जगह लालू पुर जयराम तथा प्राची के पिता लालू पुर जयराम सरती देवी का खर्गवाल होने के कारण राजब रिकार्ड में प्राची का नाम इर्न किये जाने हेतु आदेश करने की कृपा करें। प्रार्थना घर में रिपोर्ट तहसीलदार चिडावा से भी गई। तहसीलदार चिडावा के रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि राजब ग्राम परमपुरा की सीमा में खाना

उप खण्ड अधिकारी  
 चिडावा जिला सुन्धुनू (राज.)

तारीख  
हकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

संख्या 176 में खसरा नं० 173, 195, 198, 367/197, 375/172, 376/176, 377/176 कुल किता-7 कुल रकबा 5.4500 ई० तथा भूक्री खसरा संख्या 56 में खसरा नं० 174, 193, 196, 360/195 कुल किता-4 कुल रकबा 0.2080 ई० राजस्व रिकार्ड पत्रावली 2074-2077 में दर्ज हैं जिनमें वारी/जामी रामचन्द्र के दस्तक पिला का नाम सालू पुत्र जयराम का खसरा सं० 176 में लिखा 11/2 व खसरा सं० 56 में लिखा 11/2 दर्ज है। वारी/जामी रामचन्द्र के गोदनामा दस्तावेज, प्रांथर काई, बाबा काई, दस्तक पिला के मूल्य प्रमाण पत्र, सरपंच का प्रमाण पत्र तथा जामी की एक परमपुरा के अग्र खसरा सं० 161, 163, 164 में नाम रामचन्द्र दस्तक पुत्र जालूराम रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट है कि जामी/वारी रामचन्द्र के दस्तक पिला का नाम खसरा सं० 176 व 56 में सालू पुत्र जयराम जालूराम दर्ज है तथा सही व वास्तविक नाम जालूराम पुत्र जयराम है अतः राजस्व रिकार्ड खसरा सं० 176 व 56 में वारी के दस्तक पिला का नाम सालू की जगह जालूराम दुर्लभ किया जाना उचित है। क्रमांक सं० 4 से 10 तक तथा अग्रिम पैरा (पेज 3) में उल्लेखित सभी व आया संगत है तथा ग्राम परमपुरा के राजस्व रिकार्ड खसरा सं० 176 व 56 में वारी/जामी रामचन्द्र के दस्तक पिला का नाम सालू की जगह जालूराम दुर्लभ कर जौरी नामान्तरकरण दर्ज किया जाना उचित है। पलावली का अवलोकन किया गया। पलावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट नहीलरार सिड्वा के आधार पर जामिन पर जामी/वारी स्वीकार किया जाना है। राजस्व ग्राम परमपुरा की भूक्री खसरा सं० 176 में लिखा 11/2 व भूक्री खसरा सं० 56 में लिखा 11/2 में जामी/वारी के दस्तक पिला का नाम सालू की जगह जालूराम दुर्लभ किये जाने के आदेश नहीलरार सिड्वा के दिये जाते हैं। वारी/जामी रामचन्द्र के दस्तक पिला का नाम सालू की जगह जालूराम दुर्लभ कर जौरी नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नहीलरार सिड्वा उक्तद्वारा राजस्व रिकार्ड में अग्रिम दरामड कले नहीलरार सिड्वा के नहीलरार जारी है। पलावली के सबूत प्राप्त होकर नक्का से कफ की जाकर काड तकनीक पाला दारनोठ दर्ज है।

उप खण्ड अधिकारी  
चिडावा जिला बुन्दुनू (राज.)